क्रम-संख्या--236

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०---

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 मार्च, 1985

चैत्र 8, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्याः--530/सत्रह--वि--1--1-(क)---12-85

लखनऊः 29 मार्च, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 28 मार्च, 1985 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा।

(2) यह 19 जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 4-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विक्री-कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4-क में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "ऐसे निर्माता द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "ऐसे निर्माता द्वारा प्रथम विक्री के दिनांक से, यदि ऐसी विक्री-उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से छः मास के भीतर की जाय और किसी अन्य मामले में उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से छः मास की समाप्ति के पश्चात् के दिनांक से" रख दिये जायेंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(1) 'नई इकाई' का तात्पर्य किसी कारखाने या कर्मशाला से है चाहे उसे किसी ऐसे व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया हो जिसकी पहले से राज्य में किसी अन्य स्थान पर वही माल निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई हो या कोई अन्य माल निर्माण करने वाली कोई औद्योगिक इकाई किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला के स्थल पर या उससे संलग्न हो, किन्तु जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं आते :—

(क) कोई कारखाना या कर्मशाला जिसमें ऐसी मशीन, साधित्र या संघटक पुर्जों का प्रयोग होता हो जो भारत में किसी अन्य कारखाने या कर्मशाला में न तो पहले से ही प्रयोग में लाये गये हों और न ही उसमें प्रयोग किये जाने के लिए अर्जित किये गये हों ।

(ख) वही माल निर्माण करने वाले किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में या उससे संलग्न स्थल पर स्थापित कोई कारखाना या कर्मशाला; या

(ग) किसी वर्तमान कारखाने या कर्मशाला में कोई परिवर्द्धन या प्रसार, और"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश विक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
बी० एल० लुम्बा,
सचिव ।

No. 530(2)/XVII-V—1-1-(KA)-12-1985

Dated Lucknow, March 29, 1985

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bikri-Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 28, 1985.

THE UTTAR PRADESH SALES TAX (AMENDMENT) ACT. 1985

[U. P. ACT No. 6 OF 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come in force on January 19, 1985.

Amendment of Section 4-A of U. P. Act XV of 1948

2. In section 4-A of the Uttar Pradesh Sales Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "date of starting production by such manufacturer", the words "date of first sale by such manufacturer if such sale takes place within six months from the date of starting production and in any other case from the date following the expiration of six months from the date of starting production", shall be *substituted*;

(*b*) in the Explanation, *for* clause (i), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(i) 'new unit' means a factory or workshop whether set up by a dealer already having an industrial unit manufacturing the same goods at any other place in the State or an industrial unit manufacturing any other goods on, or adjacent to, the site of an existing factory or workshop; but does not include :

(*a*) any factory or workshop using machinery, accessories or components already used or acquired for use in any other factory or workshop in India,

(*b*) any factory or workshop established on, or adjacent to the site of an existing factory or workshop manufacturing the same goods, or

(*c*) any addition to or extension of an existing factory or workshop, and"

U. P. Ordinance no. 2 of 1985

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Sales Tax (Amendment) Ordinance, 1985, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material time.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

यू0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 318 सा0 (विधा0)—(4271)—1985—750 (मके0)।